ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अनुपालन हेतु जन–सूचना

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना सं0– एस0ओ01357(ई) दिनांक 08.04.2016 द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 प्रख्यापित किये गये है जो दिनांक 08.04.2016 से प्रभावी हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के मुख्य प्राविधान :

नियम 2. लागू होना – यह नियम प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय, शहरी क्षेत्रों के विस्तार, भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त द्वारा यथा घोषित जनगणना नगरों, अधिसूचित क्षेत्रों, अधिसूचित औद्योगिक नगरी, भारतीय रेल के अधीन क्षेत्रों, विमानपत्तनों, वायुयान बेस, बन्दरगाह और हार्बर, रक्षा स्थापनाओं, विशेष आर्थिक जोन, राज्य और केन्द्रीय सरकार के संगठनों, समय समय पर क्रमशः राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित तीर्थ, धार्मिक तथा एतिहासिक महत्व के स्थानों और जिसमें औद्योगिक अपशिष्ट, परिसंकटमय अपशिष्ट, परिसंकटमय रसायन, जैव चिकित्सा अपशिष्ट, ई–अपशिष्ट, सीस–अम्ल बैटरियां और रेडियो सक्रिय अपशिष्ट, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अधीन अलग से बनाये गये नियमों के अधीन आते हैं, के सिवाय प्रत्येक घरेलू, सांस्थानिक, वाणिज्यिक और किसी भी अन्य गैर–आवासिय ठोस अपशिष्ट जनित्रों पर लागू होंगे।

अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं, स्वास्थ्य कर नैपकिनों या डायपरों के विनिर्माताओं या ब्राण्ड स्वामियों तथा औद्योगिक इकाईयों के कर्तव्य –

नियम	संबन्धित विभाग / स्टेक होल्डर
04	अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता

कर्तव्य :

(क)उनके द्वारा उत्पन्न किये गये अपशिष्ट को पृथक्कृत और तीन पृथक शाखाओं अर्थात जैव निम्नी करण योग्य, गैर निम्नीकरण योग्य और घरेलू परसिंकटमय अपशिष्ट के तीन अलग अलग डिब्बों में भण्डारित करेगा और समय समय पर स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा निदेश या अधिसूचना के अनुसार पृथक किये गये अपशिष्टों को प्राधिकृत अपशिष्ट चुनने वालों या अपशिष्ट संग्रह कर्ताओं को सौंपेगा।

(ख)प्रयोग किये गये स्वास्थकर अपशिष्ट जैसे डायपरों और स्वास्थकर पैडों आदि इन उत्पादों के निर्माताओं या ब्रैन्ड स्वामियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी थैली में या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा यथा निर्देषित उपयुक्त लपेटन सामाग्री में शुष्क अपशिष्ट या आजैविक निम्नीकरण अपशिष्ट के लिये बनाये गये डिब्बे में उसे डालेगा।

(ग)संनिर्माण और विध्वन्स अपशिष्ट को पृथक रूप से अपने ही परिसर में भण्डारित करेगा, जब कभी वह उत्पन्न होता हो, और उसे संनिर्माण और विध्वन्स अपशिष्ट नियम 2016 के अनुसार निपटान करेगा।

(घ)अपने परिसर से उत्पन्न कृषि उद्यान अपशिष्ट और उद्यान अपशिष्ट को अपने ही परिसर में पृथक रूप से भण्डारित करेगा और समय समय पर स्थानीय निकाय द्वारा निर्देषा अनुसार इसका निपटान करेगा।

2. कोई अपशिष्ट जनित्र उसके द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को गली, खुले सार्वजनिक स्थानों, नाली या जलाशयों में न फेकेगा, न जलायेगा और न गाड़ेगा।
3. सभी अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता ऐसी उपयोक्ता फीस का संदाय करेंगे जो ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिये स्थानीय निकायों की उपविधियों में विर्निदिष्ट किया जाये।
4. कोई व्यक्ति अग्रिम रूप से कम से कम तीन कार्य दिवस पूर्व स्थानीय निकाय को सूचित किये बिना किसी गैर अनुज्ञप्ति वाले स्थान पर एक सौ व्यक्तियों से अधिक का ऐसा कोई आयोजन या समारोह आयोजित नही करेगा। ऐसा व्यक्ति या ऐसे आयोजन का आयोजक स्रोत पर अपशिष्ट के पृथककरण की व्यवस्था करेगा और पृथक्कृत अपशिष्ट को स्थानीय निकाय द्वारा अभिहित अपशिष्ट चुनने वाले को या अपशिष्ट संग्रहण अभिकरण को सौपेंगा।
5. प्रत्येक मार्ग विक्रेता अपने कार्यकलाप के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट जैसे कि खाद्य अपशिष्ट प्रयोज्य (डिस्पोजेबल) प्लेटों, कपों, डिब्बों, रैपरों, नारियल के छिलकों, शेष बचे भोजन, सब्जियों, फलों आदि के लिये उपयुक्त पात्र रखेगा और ऐसे अपशिष्ट को स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यथा अधिसूचित अपशिष्ट भण्डारण डिपो या पात्र या वाहन में डालेगा।
6. इन नियमों के अधिसूचित होने की तारीख से एक वर्ष के अन्दर सभी आवास कल्याण और बाजार संघ स्थानीय प्राधिकरण की भागीदारी में इन नियमों में यथा विहित जनित्रों द्वारा अपशिष्ट को स्रोत पर पृथक करने, पृथक किये गये अपशिष्ट को अलग अलग पात्रों में संग्रहण करने में सहायता और पुनर्चकणीय सामग्री को प्राधिकृत अपशिष्ट उठाने वाले अथवा प्राधिकृत पुनर्चकर्कों को सौंपना सुनिश्चित करेंगें। जैव–अवक्रमणीय अपशिष्ट को जहॉ तक सम्भव होगा परिसर के अन्दर संसाधित, उपचारित और कम्पोस्ट करके अथवा बायोमेथानेशन के जरिये निपटान किया जायेगा। शेष अपशिष्ट स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यथा निर्देषित अपशिष्ट संग्रह कर्ताओं या अभिकरण को दिया जायेगा।
7. इन नियमों के अधिसूचित होने की तारीख से एक वर्ष के अन्दर 5000 वर्ग मी0 से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी गेट लगे समुदाय और संस्थान स्थानीय प्राधिकरण की भागीदारी में इन नियमों में यथा विहित जनित्रों द्वारा अपशिष्ट को श्रोत पर ही पृथक करन, पृथक किये गये अपशिष्ट को अलग–अलग पात्रों में संग्रहण करने में सहायता करना तथा पुनः चक्रकों को सौपना सुनिश्चित करेगें। जैव–अवक्रमणीय अपशिष्ट को जहॉ तक सम्भव होगा परिसर के अन्दर संसाधित, उपचारित और कम्पोस्ट करके अथवा बायोमेथानेशन के जरिये निपटान किया जायेगा। शेष अपशिष्ट स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रह कर्ताओं या अभिकरण को दिया जायेगा।

8. इन नियमों के अधिसूचित होने की तारीख से एक वर्ष के अन्दर सभी होटल और रेस्टोरेन्ट, स्थानीय प्राधिकरण की भागी दारी में इन नियमों में यथाविहित जनित्रों द्वारा अपशिष्ट को श्रोत पर पृथक करना, पृथक किये गये अपशिष्ट को अलग–अलग पात्रों में संग्रहण करने में सहायता करना तथा पुनः चक्रणींय सामग्री को प्राधिकृत अपशिष्ट उठाने वालों अथवा पुनः चक्रकों को सौपना सुनिश्चित करेगें। जैव–अवक्रमणीय अपशिष्ट को जहाँ तक सम्भव होगा परिसर के अन्दर संसाधित, उपचारित और कम्पोस्ट करके अथवा बायोमेथानेशन के जरिये निपटान किया जायेगा। शेष अपशिष्ट स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रह कर्ताओं या अभिकरण को दिया जायेगा।

17	**निपटानयोग्य उत्पादों तथा स्वास्थकर नैपकिनों और डायपरों के विनिर्माताओं या ब्रांड स्वामियों के कर्तव्य**

कर्तव्य :

1. निपटान योग्य उत्पादों जैसे टिन, कॉच, प्लास्टिक पैकेजिंग इत्यादि से सभी निर्माता या ऐसे उत्पादों को बाजार में लाने वाले ब्रांड स्वामी अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना के लिए स्थानीय निकायों को आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएंगे।
2. गैर जैव–निम्नीकरणीय पैकेजिंग सामग्री में अपने उत्पादों की बिक्री या विपणन करने वाले ऐसे सभी ब्रांड स्वामी उनके उत्पाद के कारण उत्पन्न हुए पैकेजिंग अपशिष्ट को वापस ग्रहण करने के लिए प्रणाली की व्यवस्था करेंगें।
3. स्वास्थकर नैपकिनों तथा डायपरों के विनिर्माताओं या ब्रांड स्वामियों या विपणन कंपनियों द्वारा अपने उत्पादों में सभी पुनर्चक्रणयोग्य सामग्रियों के प्रयोग की संभव्यता का पता लगाएंगे या अपने स्वास्थ्यकर उत्पादों के पैकेट के साथ प्रत्येक नैपकिन या डायपर के निस्तारण के लिए एक पाउच या रैपर उपलब्ध कराएंगे।
4. ऐसे सभी विनिर्माताओं, ब्रांड स्वामियों या विपणन कंपनियों द्वारा अपने उत्पादों को लपेटने और उनका निस्तारण करने के सम्बन्ध में लोगों को जानकारी दी जाएगी।

18	**कचरा व्युत्पन ईधन से सौ कि.मी. के अन्दर अवस्थित औद्योगिक इकाईयों और ठोस अपशिष्ट आधारित ऊर्जा संयंत्रों के कर्तव्य**

ईधन का प्रयोग करने वाली और ठोस अपशिष्ट आधारित कचरा व्युत्पन ईधन संयंत्र से सौ कि.मी. के भीतर अवस्थित सभी औद्योगिक इकाईयां इस प्रकार उत्पन्न कचरा व्युत्पन ईधन द्वारा अपनी ईधन अपेक्षा के कम से कम 5 प्रतिशत का प्रतिस्थापन करने के लिए इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से छह मास के भीतर व्यवस्था करेंगें।

समस्त को निर्देशित किया जाता है कि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्रविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करें। ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 वेबसाइट पर उपलब्ध है : www.uppcb.com, www.cpcb.nic.in, www.envfor.nic.in